न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—16/2013/223 (2013/00016)

1. श्रवणलाल पुत्र स्व0 गोरधन, जाति जाट,
2. शौकीन पुत्र स्व0 गोरधन, जाति जाट,
3. देवकरण पत्र स्व0 गोरधन, जाति जाट,
4. श्रीमती भंवरी पुत्री स्व0 गोरधन जाति जाट,
5. श्रीमती राजू पुत्री स्व0 गोरधन, जाति जाट,

समस्त निवासीगण ग्राम सराधना, तहसील अजमेर जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती सोहनी पुत्री हजारी, जाति जाट, निवासी ग्राम सरमालिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. एजन पुत्री हजारी जाति जाट, निवासी सरमालिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. रामस्वरूप पुत्र हजारी, जाति जाट, निवासी सरमालिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. रामरतन पुत्र हजारी, जाति जाट निवासी सरमालिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती पारसी बेवा हजारी, जाति जाट, निवासी सरमालिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 19.11.2012 अंतर्गत वाद संख्या 52/2012.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 से 5 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 03.02.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.11.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 6 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सराधना, तहसील व जिला अजमेर की वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के खसरा नंबर 2947 रकबा

03–16–00 चाही–2 के रिकार्डेड खातेदार मु0 लादी बेवा नानू सरंक्षक हजारी वल्द नानू कौम जाट थे जिनकी मृत्यु उपरांत उक्त आराजियात के वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 मुताबिक सजरा ग्राम पंचायत सरमालिया वारिसान होने से बहिस्सा बराबर के हकदार है किन्तु आज दिनांक वादग्रस्त आराजियात का विरासती नामांतकरण तस्दीक नहीं किया गया है । हजारी वल्द नानू की मृत्यु पश्चात् विवादित आराजियात पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा संयुक्त रूप से काश्त की जा रही थी किन्तु वर्तमान में वादीगण के भाईयों ने वादीगण को आराजियात पर आने से मना कर दिया एवं काश्त में हिस्सा देना बंद कर दिया । इसलिये वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात में अपने निहित हिस्सा 1/5, 1/5 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा एवं बंट वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस एवं शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे दखलदांजी एवं मदाखलत, रहन, बय, मुंतकिल करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 राजीनामे के अनुसार वादीगण का वाद दिनांक 19.11.2012 को डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र बाबत् अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अपील प्रस्तुत करने की अनुमति पेश कर यह अपील पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2012 के अनुसार दर्शायी भूमि खसरा नंबर 2947 रकबा 3–16–00 किस्म चाही दो ग्राम सराधना तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पिता खातेदार हजारी पुत्र नानू जाति जाट के द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैनामा दिनांक 17.1.1973 को ही अपीलांटस के पिता गोरधन पुत्र गोकल जाति जाट को बेचान कर दी गई एवं कब्जा संभला दिया गया जिस पर क्रय दिनांक से अपीलांट के पिता गोरधन एवं उनकी मृत्यु उपरांत आज दिवस तक अपीलांटस काबिज काश्त चले आ रहे है । इस कारण अपीलाधीन भूमि में अपीलांटस के हित निहित है तथा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री से अपीलांटस के हित प्रभावित हुए तथा अपीलांटस पीड़ित पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.11.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलाधीन भूमि के खातेदार वर्किंग जमाबंदी के अनुसार मु0 लादी बेवा नानू सरंक्षक हजारी पुत्र नानू, जाति जाट साकिन देह खातेदार दर्ज किया गया है । खातेदारी हजारी पुत्र नानू द्वारा विवादित आराजी का अपीलांटस के पिता गोरधन के पक्ष में पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 17.1.1973 को बिल एवज प्रतिफल की राशि कर दिया था तथा मौके पर भूमि का कब्जा संभला दिया था तब से अपीलांटस के पिता तथा उनकी मृत्यु उपरांत अपीलांटस विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है । अपीलाधीन भूमि को चाह खसरा नंबर 2944 में 1/5 हिस्सा के सहित जरिये पंजीबद्ध बैनामा के खातेदार हजारी पुत्र नानू, जाति जाट जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पति एवं पिता थे के द्वारा उनके जीवनकाल में अपीलांटस के पिता गोरधन को बेचान कर दिया था । विवादित आराजियात पर अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

विक्रय पत्र एवं कब्जे काश्त की जानकारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण को प्रारंभ से थी इसके बावजूद वादीगण द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर मिथ्या कथनों के आधार पर अपीलांटस की क्रयशुदा बहुमूल्य आराजी को हड़पने की नियत से अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश किया जिसमें अपीलांटस को पक्षकार भी नियुक्त नहीं किया है जबकि विवादित आराजी अपीलांटस के पूवर्ज गोरधन को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के बेचान की जा चुकी थी तथा कब्जा काश्त अपीलांटस का चला आ रहा है । राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 63 के अनुसार खातेदार हजारी पुत्र नानू, जाति जाट के खातेदारी पंजीबद्ध बैनामे के अनुसार समाप्त हो चुके थे । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने सांठ–गांठ कर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर एकतरफा में निर्णय व प्राथमिक डिक्री प्राप्त की है जो विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । ग्राम सराधना तहसील व जिला अजमेर की वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के खसरा नंबर 2947 रकबा 3–16–00 चाही–2 के रिकार्डेड खातेदार मु0 लादी बेवा नानू सरंक्षक हजारी वल्द नानू कौम जाट थे जिनकी मृत्यु उपरांत उक्त आराजियात पर वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3/रेस्पो0 संख्या 3 से 5 मुताबिक सजरा ग्राम पंचायत सरमालिया वारिसान होने से बहिस्सा बराबर–बराबर के हकदार थे किन्तु वादग्रस्त आराजियात का विरासती नामांतकरण तस्दीक नहीं किया गया था । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 विवादित आराजियात में 1/5, 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चले आ रहे है। अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने राजीनामा पेश किया जिस पर अधी0न्याया0 ने उपभयपक्ष को सुनकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात से अपीलांटस का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । इसलिये अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं है । हजारी पुत्र नानू द्वारा कभी भी विवादित आराजियात का बेचान अपीलांटस के पक्ष में नहीं किया गया था न ही अपीलांटस का विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार वर्किंग जमाबंदी के अनुसार मु0 लादी बेवा नानू सरंक्षक हजारी पुत्र नानू, जाति जाट साकिन देह खातेदार दर्ज किया गया है । खातेदारी हजारी पुत्र नानू द्वारा विवादित आराजी का अपीलांटस के पिता गोरधन के पक्ष में पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 17.1.1973 को बिल एवज प्रतिफल की राशि कर दिया था तथा मौके पर भूमि का कब्जा संभला दिया था तब से अपीलांटस के पिता तथा उनकी मृत्यु उपरांत अपीलांटस विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है । अपीलाधीन भूमि को चाह खसरा नंबर 2944 में 1/5 हिस्सा के सहित जरिये पंजीबद्ध बैनामा के खातेदार हजारी पुत्र नानू, जाति जाट जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पति एवं पिता थे के द्वारा उनके जीवनकाल में अपीलांटस के पिता गोरधन को बेचान कर दिया था । विवादित आराजियात पर अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा है । पत्रावली

पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2041 के अनुसार खाता संख्या पुराना 791 नया 804 के खसरा नंबर 2947 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा की खातेदादार मु0 लादी बेवा नानू सरंक्षक हजारी वल्द नानू कौम जाट साकिन देह खातेदार दर्ज है । अपील पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित विक्रय पत्र दिनांक 17.1.1973 को अवलोकन किया गया । विक्रय पत्र में विक्रेता हजारी दत्तक पुत्र नानू, उम्र 40 वर्ष जाति जाट, निवासी ग्राम सराधना द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 2947 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा संपूर्ण एवं चाह खसरा नंबर 2944 रकबा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी में 1/5 हिस्सा 4000/–रू0 में क्रेता गोरधन पुत्र गोकल, जाति जाट, निवासी सराधना को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.1.1973 के द्वारा बेचान किया जाकर कब्जा सुपुर्द करना अंकित किया गया है । उक्त विक्रय पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विक्रेता हजारी पुत्र नानू द्वारा विवादित भूमि का विक्रय जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.1.1973 द्वारा क्रेता गोरधन पुत्र गोकल को किया गया है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण सोहनी एवं एजन पुत्रियां हजारी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 रामस्वरूप, रामरतन पुत्रगण हजारी तथा प्रतिवादी संख्या 3 पारसी बेवा हजारी के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया गया है जिसमें विवादित आराजियात के क्रेता अपीलांटस के पिता को वाद में पक्षकार कायम नहीं किया गया है । चूंकि अपीलांटस के पिता विवादित आराजियात के जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रेता है जो कि वाद में आवश्यक पक्षकार थे, जिन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष वाद में पक्षकार कायम नहीं किये जाने से वे अपना पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष पेश नहीं कर सके थे । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामे आधार पर निर्णय व डिक्री पारित करवाई है । अपीलांटस विवादित आराजियात के क्रेता होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है । हम न्यायहित में अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर वाद का पुनः परीक्षण कराया जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपीलांटस अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है ।

8. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.11.2012 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस को वाद में प्रतिवादी पक्षकार कायम कर में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवयक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर